पुनरीक्षित

# सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से प्रदेश के जिला/सिविल अस्पतालों में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश :

प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों का अफिलिएशन सी.पी.एस., मुम्बई के साथ स्त्रीरोग, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना, जनरल मेडिसीन, एवं मनोरोग विषय में पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिये किया गया है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम दो वर्ष की अवधी का होगा तथा इसमें प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2018 के लिये दिया जाएगा ।

## पी.जी. डिप्लोमा सीट्स विवरण -

| S No. | Name of Hospital | No. of Seats | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Gynecology | Pediatrics | Anesthesia | Gen Medicine | Psychiatry |
| 1 | J P Hospital, Bhopal | 4 | 2 | 2 | - | - |
| 2 | District Hospital, Sagar | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 3 | District Hospital, Satna | - | 2 | - | - | - |
| 4 | CH Rani Durgawati, Jabalpur | 4 | - | - | - | - |
| 5 | Kamla Nehru Hospital (Gas Rahat), Bhopal | - | - | - | 2 | - |
| 6 | Indira Gandhi Hospital (Gas Rahat), Bhopal | 2 | - | - | - | - |
| 7 | **Mansik Arogyashala, Gwalior** | - | - | - | - | 4 |
| **Total** | | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 |

सी.पी.एस.डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन हेतु मापदण्ड एवं पात्रताः-

1. पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु नीट-2018 क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारी (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी) को ही पात्रता होगी।
2. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पुरुष चिकित्सा अधिकारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2018 को 45 वर्ष तथा महिला चिकित्सा अधिकारियों के लिए 50 वर्ष होगी ।
3. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग के दो चक्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल में निम्नानुसार आयोजित किये जाएंगे :-
    - प्रथम चक्र - दिनांक 4 अगस्त 2018
    - द्वितीय चक्र - दिनांक 7 अगस्त 2018
4. प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में नीट क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारियों को जिनकी सेवा 31 मार्च 2018 को तीन वर्ष या इससे अधिक हो, को अवसर दिया जाऐगा ।
5. सीट्स की पूर्ति न होने पर शेष बची सीट्स के लिए तीन वर्ष से कम सेवा अवधि वाले नीट क्वालिफाईड इन सर्विस चिकित्सा अधिकारियों को द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग में अवसर दिया जाऐगा ।
6. जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिप्लोमा/पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नही लिया गया है । उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी। प्रथम चक्र की कॉउन्सलिंग में तीन वर्ष या इससे अधिक सेवा अवधि वाले चिकित्सा अधिकारी ही भाग ले सकेंगे तथा शेष अन्य चिकित्सा अधिकारी द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग में भाग ले सकेंगे।
7. पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा जिसमें नीट के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये लाभ को सम्मिलित कर मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया गया है। इसी सूची के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कॉउन्सलिंग की गई है। (सूची संलग्न)

8. पी.जी. डिप्लोमा सीट्स पर कॉउन्सलिंग विभाग में प्रचलित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जाऐगी । श्रेणीवार आरक्षण निम्नानुसार दिया जाऐगा:-

| श्रेणी | आरक्षण प्रतिशत |
|---|---|
| एस.सी. | 16 |
| एस.टी. | 20 |
| ओ.बी.सी. | 14 |

9. श्रेणीवार आरक्षित सीट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

| S No | Subject | No. of Seats | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total** | **UR** | **ST** | **SC** | **OBC** |
| 1 | Gynecology | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pediatrics | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Anesthesia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Gen Medicine | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Psychiatry | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |

10. चिकित्सा अधिकारियों को आरक्षण का लाभ लेने वान्छित प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
11. राज्य शासन के दिशा निर्देशों के तहत क्रीमीलेयर की परिधि में आने वाले पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नही दिया जाऐगा ।
12. द्वितीय चक्र की कॉउन्सलिंग में सर्व प्रथम, प्रथम कॉउन्सलिंग में आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीट्स को भरने की कार्यवाही की जाऐगी।
13. द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में आरक्षित श्रेणी के विशेष अर्हताधारी चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में प्रवेश हेतु आवंटन निम्न क्रम से किया जाएगा:-

13.1.1 अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को

13.1.2 अनुसूचित जाति की रिक्तियों के पद के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को

13.1.3 अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की रिक्तियों के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एवं

13.1.4 उपरोक्त तीनों श्रेणियों के आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में रिक्तियों के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ।

14. काउन्सलिंग के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं जिला/सिविल अस्पताल हेतु अपना विकल्प देना होगा। विकल्प प्रस्तुत करने के बाद इसे परिवर्तित करने की अनुमति नही होगी।

15. पी.जी. डिप्लोमा अवधी के दौरान चिकित्सा अधिकारियों कों वेतन/मानदेय प्राप्त होता रहेगा किंतु इस हेतु किसी भी प्रकार का कोई स्टायपंड नही दिया जाऐगा।

16. पी.जी.पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त चिकित्सा अधिकारियों कों तीन वर्ष की सेवा विभाग/सोसायटी द्वारा विहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में देने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर बॉंड राशि रूपये 20,000,00/-(रूपये बीस लाख) मात्र का निष्पादन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश के पक्ष में करना होगा ।

17. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु कॉउन्सलिंग के दौरान कोई शुल्क जमा नही करना है, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में चयन के उपरांत आवेदन शुल्क, शैक्षणिक शुल्क तथा अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित चिकित्सा अधिकारी को करना होगा । सी.पी.एस., मुम्बई द्वारा निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रं. | विवरण | राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | आवेदन शुल्क (Application fees) | 15,000 |
| 2 | शैक्षणिक शुल्क (Enrollment and E-learning fees) | 50,200 |
| 3 | टैब एवं पाठ्य सामग्री (Electronic Paperless Device) | 50,400 |
| | **योग** | **1,15,600** |

18. चिकित्सा अधिकारियों को काउन्सलिंग की सूचना विभागीय वेबसाईट के माध्यम से तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा सिविल सर्जन के माध्यम से दी जाऐगी। किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से काउन्सलिंग की जानकारी नही दी जाऐगी ।

19. प्रथम चक्र की काउन्सलिंग में आवंटित सीट्स का परिणाम उसी दिन घोषित किया जायेगा एवं द्वितीय चक्र की काउन्सलिंग हेतु शेष बची सीट्स की जानकारी विभागीय वेब साईट पर प्रदर्शित की जायेगी।

20. सी.पी.एस. पाठ्यक्रम दिनांक 01 **अगस्त** 2018 से प्रारंभ होगा तथा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथी 30 **अगस्त** 2018 है।

21. दोनों चक्रों की काउन्सलिंग से डिप्लोमा सीटस् की पूर्ति न होने पर मॉपअप राउण्ड की काउन्सलिंग की जाऐगी।

22. **आवश्यक प्रमाण पत्र :-**

    1. M.B.B.S PASSING CERTIFICATE
    2. M.B.B.S MARKSHEET
    3. M.B.B.S. DEGREE
    4. INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE
    5. CASTE CERTIFICATE (if applicable)
    6. CASTE CERTIFICATE VALIDITY (if applicable)
    7. NON-CREAMY LAYER CERTIFICATE (if applicable)
    8. STATE MEDICAL COUNCIL REGESTRATION
    9. STATE MEDICAL COUNCIL I Card (if applicable)
    10. STATE MEDICAL COUNCIL APPLICATION RECEIPT
    11. DOMICILE CERTIFICATE
    12. ADDRESS PROOF
    13. IN-SERVICE EXPERIENCE CERTIFICATE (Wherever Applicable)
    14. NEET PG 2018 SCORE CARD

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक, प्रशिक्षण
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं मध्य प्रदेश

# Application for CPC Diploma Seat

1. Name of Medical Officer - ____________________________
2. Father's/ Husband's Name - ____________________________
3. Date of Birth (DD/MM/YY) -
4. Address - _____________________________
   _____________________________
   _____________________________
5. Email Id - _____________________________
6. Mobile Number -
7. Whether belong to - Gen/Sch Caste/Sch Tribe/OBC
8. Year of MBBS -
9. Whether Reg./Contractual -
10. Experience as on 31.3.2018 - Years ____ Months_____Days______
11. Present place of posting - _______________________________
12. Neet-2018 Score -
13. Whether selected for PG - Yes/No
14. If yes, then give details - _________________________________
    _________________________________

15. Option for CPS Diploma Seat (In order of preference) :–

| S No | Subject | Name of Hospital |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |

Date :
Place :

Name and Signature of MO